न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी वर्षा शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या–79/2019

वाद प्रस्तुति दिनांक–22.07.2019

निर्णय दिनांक–03.01.2024

1. रामलाल पुत्र मंगला जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. देवकरण पुत्र मंगला जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. धन्ना पुत्र पोखर जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. किशोर पुत्र पोखर जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. रामअवतार पुत्र जगदीश जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. गोपाल पुत्र जगदीश जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
5. श्योपाल पुत्र जगदीश जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. सन्तरा पुत्री जगदीश जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. लाली पुत्री जगदीश जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. पांची पत्नि जगदीश जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. रामप्यारी पुत्री पोखर जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. छोटा पत्नि दुर्गालाल जाति जाट निवासी ग्राम मोहम्मदनगर तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)
12. मोहम्मद शकील पुत्र बफाती खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक

प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 05, 08, 09, 12–श्री चतुर्भुज गुर्जर

प्रतिवादी संख्या 06, 07 व 10–अनुपस्थित

दावा बाबत् तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 92ए, 188 रा.टि.एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 58 रकबा 02–06 बीघा, ख0न0 172 रकबा 02–03 बीघा, ख0न0 173 रकबा 02–00 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

06–09 बीघा वाके ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथड़ी तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। पक्षकारान् के पूर्वजों द्वारा ही वादग्रस्त आराजी का बंटवारा कर लिया था और बंटवारे अनुसार ख0न0 58 में से आधा हिस्सा वादीगण के पास में था और आधा हिस्सा प्रतिवादीगण के पास में था। प्रतिवादीगण ने अपने आधे हिस्से का बेचान प्रतिवादी संख्या 10 को कर दिया हैं। इस कारण ख0न0 58 के वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 ही संयुक्त खातेदार रहे है और पूर्व काबिज अनुसार काश्त कर रहे है। आराजी ख0न0 172 सम्पूर्ण पर वादीगण का पूर्वजों के समय हुए बंटवारे से निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा आराजी ख0न0 173 पर प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 09 काबिज काश्त कर रहे है। उक्त वर्णित आराजीयात का बंटवारा तो पक्षकारान् के पूर्वजों द्वारा वर्षो पूर्व ही किया जा चुका था किन्तु उसका आज तक विधिवत् विभाजन नहीं हुआ हैं और उक्त वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादीगण ने अनेक बार प्रतिवादीगण से उक्त वर्णित आराजीयात का विधिवत् बंटवारा कराने का निवेदन किया जा चुका हैं किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा हमेशा टालम टोली की जाती रही हैं। प्रतिवादीगण बिना तकास्मा कराये वादग्रस्त आराजी के अपने हक हिस्से को अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर आमादा हैं। जिससे पक्षकारान् के बीच विवाद की स्थिती उत्पन्न हो गई। ऐसी स्थिती में यह आवश्यक हो गया हैं कि वह अपनी आराजी का विधिवत् तकास्मा करवाकर अपनी पृथक जमाबंदी तैयार करवा लेवे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 ता 05, 08, 09, 12 की ओर से अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 06, 07, 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता श्री चतुर्भुज गुर्जर ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 05, 08, 09 व 12 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया कि ख0न0 58, 172, 173 कुल किता 03 कुल रकबा 06–09 बीघा वाके ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथड़ी में स्थित है। जिसका 1/2 हिस्सा तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 द्वारा दिनांक 07.07.2019 को उपपंजीयक पीपलू द्वारा प्रतिवादी संख्या 12 मो0 शकील पुत्र बफाती खां जाति मुसलमान नि0 ग्राम झिराना को विक्रय कर भूमि का कब्जा संभला दिया हैं। तब से प्रतिवादी संख्या 12 का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने पूर्वजों के समय से ही 1/2–1/2 हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन ख0न0 172 सोहेला से डिग्गी रोड़ स्टेट हाईवे के लगवा होने के कारण वादीगण की नियत में बेईमानी आ गई। जबकि क्रेता ने उक्त भूमि के विक्रय पत्र में भी रोड़ के लगवा की डी.एल.सी. राशि जमा करवा कर विक्रय पत्र पंजीयन करवाया है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहकृषक का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता हैं। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 12 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर यानि अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के अनुसार तकास्मा किया जावे।

उभयपक्ष ने बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। भूमि आराजी ख0न0 58 रकबा 02–06 बीघा, ख0न0 172 रकबा 02–03 बीघा, ख0न0 173 रकबा 02–00 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 06–09 बीघा वाके ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथड़ी तह0

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पीपलू जिला टोंक (राज0) में स्थित हैं, जो वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से व कब्जे को दृष्टिगत रखते हुए वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। वादपत्र में संलग्न जमांबदी के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि हैं। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच दावा प्राथमिक डिक्री जाकर तहसीलदार पीपलू को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 18 से 21 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश दिया जाकर, उक्तानुसार उभयपक्ष पक्षकारान् की उपस्थिती में नक्शा ट्रेस के दो-दो प्रतियों में मय तकास्मा रिपोर्ट तैयार की जाकर अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था, जो तहसीलदार पीपलू के पत्रांक 181 दिनांक 01.05.2023 से न्यायालय हाजा को प्राप्त हो चुकी है।

उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस का निवेदन किया। अधिवक्ता वादी ने प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट के आधार पर तकास्मा कर वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने भी तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाद वादी डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रस्तुत तकास्मा रिपोर्ट का अवलोकन किया जाकर वाद बाबत् तकास्मा आराजीयात स्वीकार किया जाकर वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता हैं कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम मोहम्मद नगर पटवार हल्का नाथडी में स्थित भूमि आराजी ख0न0 172/2 रकबा 0.2718 हैक्ट., ख0न0 173/2 रकबा 0.2529 हैक्ट. व ख0न0 58/2 रकबा 0.2909 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.8156 हैक्ट. वादी संख्या 01 रामलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 पीपलू खातेदार व वादी संख्या 02 देवकरण पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 पीपलू खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 58/1 रकबा 0.2908 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 10 छोटा पत्नि दुर्गालाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा व भूमि आराजी ख0न0 172/1 रकबा 0.2719 हैक्ट., ख0न0 173/1 रकबा 0.2529 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.5248 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 12 मोहम्मद शकील पुत्र बफाती खा हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0 झिराना खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 व 12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेश होने पर डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(वर्षा [illegible])
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(औ.20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

ब अजलास वर्षा शर्मा आर0ए0एस0

रामलाल पुत्र मंगला जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) (कुल कस 02) वादीगण

बनाम

धन्ना पुत्र पोखर जाति माली निवासी ग्राम पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

(कुल कस 12) प्रतिवादीगण

मुकदमा न0 79/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मुझ वर्षा शर्मा उपखण्ड अधिकारी पीपलू व हाजिरी श्री विवेक चौधरी एड0 मिनजानिब मुदई रूबरू प्रतिवादी संख्या–01 ता 05, 08, 09, 12 श्री चतुर्भुज गुर्जर मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता व डिक्री दी जाती है कि मुताबिक तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वाके ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी में स्थित भूमि आराजी ख0न0 172/2 रकबा 0.2718 हैक्ट., ख0न0 173/2 रकबा 0.2529 हैक्ट. व ख0न0 58/2 रकबा 0.2909 हैक्ट. कुल किता 03 कुल रकबा 0.8156 हैक्ट. वादी संख्या 01 रामलाल पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 पीपलू खातेदार व वादी संख्या 02 देवकरण पुत्र मंगला हिस्सा 1/2 जाति माली सा0 पीपलू खातेदार के नाम संयुक्त रूप से दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। भूमि आराजी ख0न0 58/1 रकबा 0.2908 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 10 छोटा पत्नि दुर्गालाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा व भूमि आराजी ख0न0 172/1 रकबा 0.2719 हैक्ट., ख0न0 173/1 रकबा 0.2529 हैक्ट. कुल किता 02 कुल रकबा 0.5248 हैक्ट. प्रतिवादी संख्या 12 मोहम्मद शकील पुत्र बफाती खां हिस्सा पूर्ण जाति मुसलमान सा0 डिराना खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड रहेगा। तहसीलदार पीपलू तकास्मा रिपोर्ट अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 10 व 12 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे एवं नक्शा शीट तकास्मा रिपोर्ट अनुसार तरमीम करे। तहसीलदार पीपलू से प्राप्त तकास्मा रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न हिस्सा रहेगी। बैंक प्रभार यथावत रहेगा।

मिजी__________मबलिग________________ बाबत__________खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह________फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ________________ को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03.01.2024 को जारी की गई।

दस्तखत____

मोहर

उपखण्ड अधिकारी

पीपलू (टोंक)

मुददई	रूपये	पैसे	मददायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	50	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनामा			स्टाम्प बकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned with CamScanner